कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः– प्राशिप / परिषद सम्बद्धता / 2019 / 1132 लखनऊ: दिनांक: 15–5–2019

:–कार्यालय ज्ञाप–:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14–5–2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय मे बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019–20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता / पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार / पाठ्यक्रम / प्रवेश क्षमता वृद्धि / कमी हेतु सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम मे सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–18 में डिप्लोमा इन इंजी0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया :–

" समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी नवस्थापित निम्न डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019–20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, को सत्र 2019–20 हेतु परिषद से सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित संस्थान सत्र 2019–20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध करायें।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय–विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019–20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4040	ज्योतिरादित्य इंस्टी0 आफ टेक्नो0 मैनेजमेण्ट एण्ड रिसर्च [illegible], मधुपुर, प्रतापगढ़	सिविल इंजी0 इलेक्ट्रिकल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0 प्रोड0	120 120 60	120 120 60

<u>सम्बद्धता हेतु शर्तें</u>

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00 / – प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0– 45,000.00 / – प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0– 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र / छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र / छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध मे समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण